जिला कलैक्ट
श्रीगंगानगर
18/2016

No. 13

अपील सूचना अधिकार संख्या 18/2016 अनवानी श्री मनदीपसिंह पुत्र श्री कश्मीरसिंह निवासी वार्ड नं0 12, टीचर कालोनी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20–12–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मनदीप सिंह उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.10.15 के द्वारा जिस प्रकार से सूचनाएं चाही गयी थी उस प्रकार से उसे सूचनाएं उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मनदीप सिंह ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 17.10.15 के द्वारा गृह शासन सचिव, सचिवालय जयपुर से निम्न सूचनाएं चाही थी:–

1. जिला श्रीगंगानगर में सामान्य प्रकरण में शस्त्र लाइसेंस दिया जाना कब से प्रतिबंधित है?
2. जिला श्रीगंगानगर में दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 10.10.2015 तक सामान्य प्रकरण में कुल कितने शस्त्र लाईसेंस जारी किये गये है? सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावे।

अपीलार्थी का आवेदन पत्र शासन संयुक्त सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी , गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत पत्र दिनांक 28.10.2015 के द्वारा इस कार्यालय को अन्तरित की गयी है। जिला कलक्टर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर अतिरिक्त जिला मजि0, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 10911 दिनांक 05.10.16 के द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उसके सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र की सूचना जरिये पत्र सं0 556 दिनांक 23.01.2016 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

अतिरिक्त जिला मजि0, श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 556 दिनांक 23.01.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

क्र.सं.	बिन्दु	जवाब
1	जिला श्रीगंगानगर में सामान्य प्रकरण में शस्त्र लाईसेंस दिया जाना कब से प्रबिन्धित है? सूचना दी जावे	जिला श्रीगंगानगर में सामान्य प्रकरण में शस्त्र लाईसेंस दिये जाने में काई प्रतिबन्ध नही है।
2	जिला श्रीगंगानगर में दिनांक 01.01.2013 से 10.10.2015 तक सामान्य प्रकरण में कुल कितने शस्त्र लाईसेंस जारी किये गये है सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावे।	बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना के संबंध मे लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना से तात्पर्य विभाग में संधारित अभिलेख से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के अनुसार लोक सूचना अधिकार द्वारा सूचना सर्जित करना सूचना के अधिकार के दायरे में नही आता। सूचना उसी रूप में दी जा सकती है जिस रूप में विभाग में संधारित हो। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र 10 जुलाई, 2009 के अनुसार सूचना उसी रूप मे प्रदान की जा सकती है। जिस रूप में प्राधिकरण के पास उपलब्ध है तथ्यों को खोजकर खोजे गये तथ्यों को संकलन कर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के अन्तर्गत नही आता है। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत है। जिसे उपलब्ध करवाने में लोकप्राधिकरण के संसाधनों का अनुपातिक रूप से विचलन होता है। अतः धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। आपको किसी विशिष्ट अभिलेख की प्रति की आवश्यकता है तो विशिष्ठीयां प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकतें है अथवा निरीक्षण कर सकते है।

ा कलैक्टर
ागंगानगर

A3/2

लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन से बिन्दु सं0 1 की सूचना अपीलार्थी को दी जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 2 की सूचना जिस प्रारूप में चाही गई है उस प्रारूप में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान की जा सकती है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 23.01.2016 है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर उपलब्ध अभिलेख में से कोई सूचना लेना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजि0, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर